राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1298/2025

मुकेश कुमार शर्मा –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
3. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. रामलाल शर्मा पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी चौमूं।
6. बलवीर सिंह जाबड, अध्यक्ष जयपुर देहात दक्षिण, भारतीय जनता पार्टी, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 27.02.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल सिंह खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रस्तुत की जिसे स्वीकार कर रिकार्ड पर लिया गया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मण्डल गाडोता, तहसील मौजमाबाद, जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.01.2025 द्वारा कार्यमुक्त किया जा चुका है (अनुलग्नक–1A)। इससे पूर्व अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 27.09.2019 (अनुलग्नक–2) द्वारा रोटवाड़ा, फागी से मोहनपुरा, सांगानेर किया गया था। अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या–5 पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के पत्र दिनांक 03.01.2025 एवं प्रत्यर्थी

संख्या–6 बलबीर सिंह जाबड़ जिला अध्यक्ष के पत्र दिनांक 07.01.2025 के आधार पर राजनैतिक द्वेषता से स्थानान्तरण किया गया है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी की पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसका नियमित उपचार जयपुर में चल रहा है। अपीलार्थी के माता पिता भी वृद्धावस्था बीमारियों से ग्रसित है। आलौच्य आदेश बिना प्रशासनिक आवश्यकता के जारी किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर किसी का भी पदस्थापन नहीं किया गया है और पद अभी भी रिक्त पड़ा हुआ है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को निरन्तर वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम स्तर से जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं 21.01.2025 (अनुलग्नक–1A) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पटवार मण्डल मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर से पटवार मण्डल गाडोता, तहसील मौजमाबाद, जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2019 से पदस्थापित है। अपीलार्थी यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि निजी प्रत्यर्थी–5 एवं 6 का पत्र प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के पास पंहुचा हो एवं इस आधार पर स्थानान्तरण किया गया हो। अपीलार्थी का स्थानान्तरण समुचित समयावधि पश्चात किया गया है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण में किसी प्रकार की दुर्भावना एवं नियमों का उल्लंघन प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य